न्यायालय सहायक कलक्टर (S D O) पीपाड़ शहर
पीठासीन अधिकारी, शैतानसिंह राजपुरोहित R.A.S.

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या – 158 / 2019

प्रार्थीगण :
सुगनाराम पुत्र रूपाराम
जातियान माली निवासीगण कोसाणा
तहसील पीपाड़ शहर जिला जोधपुर।

बनाम

अप्रार्थीगण :
1. रामनिवास पुत्र मांगीलाल
2. सोहनलाल पुत्र मांगीलाल
3. रूकी पत्नि पुत्र मांगीलाल
   जातियान मेघवाल निवासीगण
   मालावास तहसील पीपाड़
   शहर जिला जोधपुर
4. भूमिधारी जरीये तहसीलदार, पीपाड़ शहर

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) राज. काश्तकारी अधिनियम

उपस्थित अधिवक्ता
श्री विजय चौहान व श्री राजेन्द्र देवड़ा प्रार्थी की ओर से

निर्णय

दिनांक : 26.02.2021

प्रार्थी ने एक राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 क राजस्थान कास्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत किया है कि ग्राम मालावास तहसील पीपाड़ शहर की राजस्व सीमा मे खसरा नं. 336 रकबा 1.9982 हैक्टयर किस्म बारानी प्रथम मे आयी हुई है। राजस्व रेकार्ड जमाबन्दी के खाता सं. 494 पर प्रार्थी का नाम खातेदार के रूप मे दर्ज है। सबूत मे नकल जमाबन्दी सम्वत 2075 से 2078 तक मय ट्रेस नक्शा के संलग्न पेश है। प्रर्थी की खातेदारी कब्जासुद जमीन खसरा नं. 336 मे आने जाने हेतु कोई कटाणी रास्ता नही है। ग्राम मालावास की सीमा मे गै.मु. कटाणी रास्ता खसरा नं. 322 व प्रार्थी की खातेदारी कब्जासुद जमीन खसरा नं. 336 के मध्य अप्रार्थीगण की खातेदारी भूमि खसरा नं. 337 आयी हुई है इसलिए गे.मु. कटाणी रास्ता से प्रार्थी की भूमि मे आने जाने हेतु अप्रार्थी के खेत खसरा नं. 337 मे से दक्षिणी माठ के सहारे सबसे निकटतम व सुविधाजनक रास्ता है जिसको संलग्न नजरी नक्शा मे मार्क ए बी सी डी से दर्शाया गया है। उक्त रास्ता को आगे प्रार्थना पत्र का अंग माना जावे। ग्राम मालावास की सीमा मे गै.मु. कटाणी रास्ता से अप्रार्थीगण सं. 1 ये 3 के खेत खसरा नं. 337 मे से दक्षिणी माठ के सहारे सहारे वादग्रस्त रास्ता ए, बी, सी, डी से होकर प्रार्थीगण के खेत खसरा नं. 336 तक निकटतम व सुविधाजनक रास्ता है। इसके अलावा प्रार्थीगण के खेत मे आने जाने हेतु अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नही है। वादग्रस्त रास्ता गै.मु. कटाणी रास्ता से प्रार्थी के खेत तक निकटतम व सुविधाजनक रास्ता है। प्रार्थी ने वादग्रस्त रास्ते की भूमि रास्ता के रूप मे दर्ज करवाने बाबत दिनांक 01.10.2019 को कहा लेकिन

अप्रार्थीगण ने वादग्रस्त रास्ता मार्क ए बी सी डी की भूमि को रास्ता के रूप मे दर्ज करवाने से साफ मना कर दिया तथा प्रार्थी को वादग्रस्त रास्ता से होकर आने जाने से मना कर दिया। प्रार्थी ने इस वर्ष वादग्रस्त आराजी मे मूंग की फसल बोयी जो पककर तैयार हो चुकी है तथा अप्रार्थीगण ने अपनी भूमि खसरा नं. 336 मे से वादग्रस्त रास्ता से फसल ले जाने से साफ इन्कार कर दिया तथा वादग्रस्त रास्ता पर मार्क सी डी पत्थरो की चुनाई कर दी तथा फसल वादग्रस्त से होकर ले जाने से साफ मना का दिया इसलिए प्रार्थी को उक्त वादग्रस्त रास्ता से 30 फुट चौडाई मे रास्ता घोषित करने हेतु प्रार्थना पत्र पेश करना पड रहा है। प्रार्थी के खातेदारी कब्जासुद जमीन खसरा नं. 336 से कटाणी रास्ता खसरा नं. 322 तक आने जाने हेतु अप्रार्थीगण की भूमि खेत खसरा नं. 337 मे से 30 फुट चौडा रास्ता घोषित किया जाकर रास्ता का राजस्व रेकार्ड नक्शा मे तरमीम किया जाने का आदेश फरमावे जिसके लिए प्रार्थी वादग्रस्त रास्ता की भूमि की डीएलसी दर से रकम अदा करने को तैयार है। ग्राम मालावास की राजस्व सीमा मे गै.मु. कटाणी रास्ता ख.नं. 322 से प्रार्थी के खेत के मध्य अप्रार्थीगण का खेत खसरा नं. 337 आया हुआ है तथा गै.मु. कटाणी रास्ता से अप्रार्थीगण की भूमि ख.नं. 337 मे से वादग्रस्त प्रार्थीगण के खेत ख.नं. 336 के लिए निकटतम व सुविधाजनक रास्ता है। गै.मु. कटाणी रास्ता से वादग्रस्त रास्ता के अलावा कोई निकटतम रास्ता नही है। प्रार्थी की खातेदारी कृषि भूमि व वादग्रस्त रास्ता वाली जमीन ग्राम मालावास की राजस्व सीमा मे स्थित होने से श्रीमान न्यायालय हाजा के क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार का है तथा अन्दर मियाद पेश है। प्रथम दृष्टया मामला व सुविधा का सन्तुलन प्रार्थी के हक मे है प्रार्थी की खातेदारी कब्जासुद जमीन मे आने जाने हेतु कोई कटाणी रास्ता नही है अगर वादग्रस्त को रास्ता घोषित किया जाकर राजस्व रेकार्ड मे रास्ता की तरमीम नही की गयी तो प्रार्थी को अपार क्षति होगी तथा प्रार्थी अपनी जमीन मे से फसल भी नही ले जा सकेगा व काश्त नही कर सकेगा।

अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र के पेश कर श्रीमान न्यायालय हाजा से निवेदन है कि ग्राम मालावास की राजस्व सीमा मे स्थित भूमि खसरा नं. 336 से गै.मु. कटाणी रास्ता तक अप्रार्थीगण के खेत खसरा नं. 337 मे से दक्षिणी माठ के सहारे सहारे वादग्रस्त रास्ता मार्क ए,बी,सी,डी को 30 फुट चौडा रास्ता घोषित किया जाने का आदेश फरमावे। अन्य अनुतोष जो हित प्रार्थी हो प्रार्थी के हक मे अता फरमावे।

प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को नोटिस जारी किये गये अप्रार्थी सं. 1 व 2 के सम्मन बाद तामील प्राप्त होने पर भी अनुपस्थित रहने पर उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी ।

अप्रार्थी सं. 3 फौत हो जाने पर आदेशिका दिनांक 03.02.2020 द्वारा वकील प्रार्थी के निवेदन पर उनका नाम हटाया गया क्योकि उनके उत्तराधिकारी 1 व 2 पहले से ही प्रार्थना पत्र में संयोजित है । तहसीलदार पीपाड़ शहर की ओर से मौका कमिश्नर रिपोर्ट प्रस्तुत की है कि प्रार्थी के रूबरू मौके पर पहुचे अप्रार्थी सोहनलाल पुत्र मांगीलाल बावजूद सूचना के भी मौके पर नही पहुचे प्रार्थी ने अपने खेत खसरा नम्बर 336 में आने जाने हेतु खसरानम्बर 337 में से दक्षिण मेड़ के सहारे 20 फीट चौड़ाई में रास्ता चाहा है मौका निरीक्षण करने पर पाया कि खसरा नम्बर 322 गै.मु.रास्ता से प्रार्थी के खेत खसरा नम्बर 336 में आने जाने हेतु बीच में खसरा नम्बर 337 की भूमि आती है । प्रार्थी के खेत खसरा नम्बर 336 में आने जाने हेतु उक्त मांग किये गये रास्ते के अलावा वर्तमान में अन्य कोई वैकल्पिक नजदीकी रास्ता नही है । खसरा नम्बर 337 में जीरे की फसल खड़ी है तथा नजरी नक्शे के अनुसार खसरानम्बर 337 के पश्चिम मेड़ पर कांटो की बाड़ एवं पूर्वी मेड़ पर पत्थरो की कच्ची दीवार निकाली हुई है । खसरानम्बर 336 में आने जाने हेतु खसरानम्बर 337 की रास्ते हेतु चाही गयी भूमि की लम्बाई 58 गट्टा एवं चौड़ाई 03 गट्टा अर्थात 164 वर्गगट्टा भूमि की आवश्यकता होगी । प्रस्तावित वांछित रास्ता ग्राम मालावास के खसरानम्बर 337 रकबा 0.07041 हैक्टयर भूमि की वर्तमान डीएलसी दर से दुगुनी राशि रूपये 26426/– रूपये की मालियत बनती है ।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया । पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज एवं मौका कमिश्नर रिपोर्ट का अवलोकन करने पर पाया कि अब प्रार्थी के खेत ग्राम मालावास खसरा नम्बर 336 में आने जाने हेतु अप्रार्थी के खसरा नम्बर 337 रकबा 0.07041 हैक्टयर भूमि में आने जाने हेतु दक्षिणी माठ के सहारे–सहारे रास्ता दिये जाने वाला प्रस्तावित है ।

अतः राजस्व ग्राम मालावास के खसरा नम्बर 336 में आने जाने हेतु अप्रार्थी के खेत खसरा नम्बर 337 में से प्रस्तुत कमिश्नर रिपोर्ट दिनांक 01.02.2021 लाल स्याही से दर्शाये मार्क ए बी सी डी कुल क्षैत्रफल 174 वर्गगट्टा अर्थात 8 बिस्वा 7 बिस्वांसी अर्थात 0.07041 हैक्टयर भूमि में दक्षिणी दिशा की भूमि को रास्ते के उपयोग हेतु घोषित की जाती है । जिसकी मालियत राशि रूपये 13213/– रूपये बनती है । जिसकी नियमानुसार दुगुनी राशि 26426 रूपये बनती है । प्रार्थी राशि 26426/– रूपये का चैक/डी.डी. अप्रार्थी/राजकोष के नाम से तहसीलदार पीपाड़ शहर के समक्ष अप्रार्थी को अदा करने हेतु जमा करावें ।

उपखण्ड अधिकारी
पीपाड़ शहर (जोधपुर)

तहसीलदार पीपाड़ शहर को आदेश दिया जाता है कि राशि 26426/— रूपये का चैक/डी.डी. प्राप्त कर अप्रार्थीगण/राजकोष को भुगतान करें एवं रास्ते की भूमि की तरमीम राजस्व नक्शे में करें । इस आशय की तहरीर तहसीलदार पीपाड़ शहर के नाम जारी हो । मौका कमिश्नर रिपोर्ट दिनांक 01.02.2021 व उसमें संलग्न मौका फर्द एवं नजरी नक्शे को निर्णय का अंग समझा जावें । खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करें ।

(शैतानसिंह राजपुरोहित)
सहायक कलक्टर (SDO)
पीपाड़ शहर

निर्णय आज दिनांक 26.02.2021 को खुले न्यायालय में लिखवाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर जाब्ता दाखिल दफ्तर हों।

(शैतानसिंह राजपुरोहित)
सहायक कलक्टर (SDO)
पीपाड़ शहर